

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़

पितासीन

बनाम पेम

111-128 वाद / प्रा०प० / अपील 37/18 प्र०सं० 15

उबाद जाँच वाद / प्रा०प० / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 31.5.18 को पेश हो।

31/5/18

उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़

31.5.18

पत्रावली वास्ते हमीरगढ़ प्र  
पेश / पेशका अलवासे लिखता जा कर  
शामिल पत्रावली विपक्षीगणो /  
पत्रावली पेशाले सुमार होकर  
जम्मा से काम हो

पितासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हमीरगढ़

Ram

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला-भीलवाडा

न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प हमीरगढ

पीठसीन अधिकारी:-रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या:- 37 / 18

1:- बाबूदीन पुत्र श्री फाजल मंसूरी निवासी तहसील हमीरगढ

---प्रार्थीगण

बनाम

1.- श्रीमति प्रेम देवी पत्नी श्री लक्ष्मण गाडरी निवासी-हमीरगढ

2.- छीतर पुत्र श्री देबी लाल धोबी निवासी तहसील हमीरगढ

3.- रामचन्द्र पुत्र श्री भागू बलाई निवासी तहसील हमीरगढ

4.-श्रीमति रेखा पत्नी श्री सत्यनारायण ढोली निवासी- आचार्य मौहल्ला, हमीरगढ

5.- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब हमीरगढ।

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::


दिनांक:-31 / 05 / 2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प हमीरगढ पर पेश प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 3661 कुल किता 1 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08/05/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंधदान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हमीरगढ की आराजी नम्बर 3661 कुल किता 1 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ को 500/-रु० (अक्षरे- पांच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथारिथिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढीसबाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढीसबाड़ा